कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522–2288656 cehydelpcl@gmail.com फैक्स : 0522–2288655

संख्या– 1744 –अनु0–2/सी0ई0एच0/नियुक्ति–सीधीभर्ती/16 दिनॉक 30.11. 2018

कार्यालय–ज्ञापन

इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या–1064–अ–2, दिनॉक 13.07.2016 एवं ज्ञापन संख्या–1370–अ–2, दिनॉक 01.09.2016 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (विद्युत) के पद पर हुई थी एवं ज्ञापन संख्या–1366,1367,1368,1369–अ–2, दिनॉक 01–09–2016 एवं ज्ञापन संख्या–1551–अ–2, दिनॉक 17.10.2016 द्वारा नियुक्ति अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)–(विद्युत) को समस्त डिस्काम/केस्को/पारेषण इकाई एवं कारपोरेट कार्यालयों को आबंटित किया गया था तथा नियुक्त अधोनामित अवर अभियन्ताओं (प्रशिक्षु) द्वारा 01 वर्ष का आधारभूत कियात्मक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त उनकी विशेष कार्य कौशल आख्या संतोषजनक प्राप्त होने पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–8 में अंकित तिथि से उनका नियमितीकरण अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर छठवें वेतनमान के वेतन बैण्ड–2 में वेतनमान रू0 9300–34800 एवं कारपोरेशन मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–852, दिनॉक 07.10.2016 के प्राविधानानुसार ग्रेड वेतन रू0 4200/– में रू0 400/– का विशेष फिटमेन्ट ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा तथा उन्हें समय–2 पर अनुमन्य वेतन भत्ते इनके पदभार ग्रहण तिथि से देय होगें। इनकी प्रशिक्षण अवधि इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु आगणित की जायेगी।

क्र0 सं0	आबंटित इकाई	अवर अभियन्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	गृह जनपद	कार्य कौशल आख्या में अंकित तिथि	नियमिती –करण तिथि	वर्तमान तैनाती स्थान
1	2	3 सर्व श्री....	4 सर्वश्री.....	5	6	7	8	9
1	AGRA DISCOM	KESHAV MAHESH WARI	ANIL MAHESH WARI	**17.09.1995**	KASGANJ	01.07.2017 01.07.2018	01.07.2018	EDD-I, ALIGARH
2	VARANASI DISCOM	MAHMOOD AKHTAR	MANSOOR AHMAD	**10.07.1991**	SONA BHADRA	03.09.2016 02.09.2017	03.09.2017	EDD-III, AZAMGARH
3	VARANASI DISCOM	SANDEEP KUMAR	LAL CHAND	**14.06.1991**	VARANASI	03.09.2016 02.09.2017	03.09.2017	EDD-III, LALGANJ, AZAMGRH
4	VARANASI DISCOM	RAMKRISHAN YADAV	SIKANDAR YADAV	**10.08.1994**	GHAZI PUR	05.09.2016 04.09.2017	05.09.2017	EDD-III, AZAMGARH

उपरोक्त नियमितीकरण निम्न प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है:–

1 अवर अभियन्ता(सा0श्रे0) संवर्ग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

2 अभ्यर्थियों की सेवाये पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद अवर अभियन्ता सेवा विनियमावली 1972 एवं इस संवर्ग में समय–समय में विनियमावली मे हुए संशोधन के द्वारा भी नियन्त्रित रहेंगी।

3 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई है तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

4 अभ्यर्थियों का चरित्र एवं आचरण गृह जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से पुलिस द्वारा सत्यापित कराये जाने पर प्रतिकूल आख्या प्राप्त होने की दशा में तत्काल सेवा से निष्कासित किया जायेगा।

5 अभ्यर्थियों की सेवायें पावर कारपोरेशन लि0 एवं अन्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश या प्रदेश से बाहर स्थानान्तरणीय है।

6 अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र, प्रमाण–पत्र, घोषणा–पत्र अथवा अन्य अभिलेखों को यदि भविष्य में किसी भी समय जॉच करने पर गलत पाया गया कि उसने स्वार्थ वश कुछ तथ्य जानबूझ कर छिपाये है तो उसकी सेवाये समाप्त कर दी जायेगी।

मुख्य अभियन्ता(हाइडिल)

......2

संख्या- 1744 -अ-2/तद्दिनांक 30/11/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को,कानपुर, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।
2. निदेशक (का0प्र0), उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण-क्षेत्र)__________________
4. मुख्य अभियन्ता (पारेषण-पूर्व/पश्चिम/मध्य/दक्षिण), उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0__________________
5. अधीक्षण अभियन्ता, __________________
6. अधिशासी अभियन्ता__________________
7. कार्यालय अधीक्षक अनुभाग-1/2/3/4
8. सम्बन्धित पदधारी
9. कट-फाईल।
10. अधिशासी अभियन्ता (लेखा), उ0प्र0 पा0का0लि0, लखनऊ (आ0लो0)

(हेमन्त कुमार गुप्ता)
वैयक्तिक सहायक(षष्ठम्)
कृते मुख्य अभियन्ता(हाइडिल)